प्रेस नोट सं0- 11
दिनांक- 11.10.2025
सराहनीय कार्य अमेठी पुलिस
थाना मुंशीगंज पुलिस द्वारा 02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 02 तमंचा, 02 जिन्दा कारतूस व 02 खोखा कारतूस 12 बोर बरामद।

पुलिस अधीक्षक अमेठी श्रीमती अपर्णा रजत कौशिक के निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक अमेठी श्री ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह के पर्यवेक्षण में जनपद अमेठी में अपराध एवं अपराधियों के धर पकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 11.10.2025 को क्षेत्राधिकारी गौरीगंज श्री अखिलेश वर्मा के कुशल नेतृत्व में थाना मुंशीगंज पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 117/25 धारा103(1), 3(5) बीएनएस थाना मुंशीगंज जनपद अमेठी में वांछित मोटरसाइकिल सवार 02 अभियुक्तों 1.सत्यम उर्फ रंगा पुत्र रामस्वरूप निवासी ग्राम पूरे ढखान मजरे गरथोलिया थाना मुंशीगंज जनपद अमेठी उम्र करीब 19 वर्ष व 2.आशीष पुत्र सिद्धनाथ निवासी ग्राम पूरे कन्धई (कुटीवा) मजरे नोहरेपुर थाना मुंशीगंज जनपद अमेठी उम्र करीब 18 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। पल्सर मोटरसाइकिल सं0 यूपी 36 एम 6279 के कागज मांगने पर दिखा न सके। तलाशी से अभियुक्त सत्यम उर्फ रंगा के कब्जे से 01 तमंचा, 01 जिन्दा कारतूस व 01 खोखा कारतूस 12 बोर एवं अभियुक्त आशीष के कब्जे से 01 तमंचा, 01 जिन्दा कारतूस व 01 खोखा कारतूस 12 बोर बरामद हुआ।

पूछताछ में अभियुक्त सत्यम उर्फ रंगा ने बताया कि उसके भाई के करीब 10 वर्ष बाद लड़की पैदा हुई थी जिसका दिनांक 06.10.2025 को ग्राम पूरे ढखान मजरे गरथोलिया में निकासन कार्यक्रम था जिसमें वह अपने दोस्त देव को फोन करके दिल्ली से बुलाया था। निकासन कार्यक्रम में डी0जे0 पर अपने-अपने पसन्द के गाने लगाने की बात को लेकर सत्यम उर्फ रंगा व आशीष का विवाद देव से हो गया था। विवाद ज्यादा बढ़ने पर वह दोनों एक राय होकर देव को अपने-अपने तमंचे से गोली मार दिया था जिससे देव गिर पड़ा अस्पताल ले जाने पर मृत्यु हो गयी थी। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट की बढ़ोत्तरी की गयी। बरामदगी व गिरफ्तारी के संबंध में थाना मुंशीगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता –

1. सत्यम उर्फ रंगा पुत्र रामस्वरूप निवासी ग्राम पूरे ढखान मजरे गरथोलिया थाना मुंशीगंज जनपद अमेठी उम्र करीब 19 वर्ष।
2. आशीष पुत्र सिद्धनाथ निवासी ग्राम पूरे कन्धई कुटीवा मजरे नोहरेपुर थाना मुंशीगंज जनपद अमेठी उम्र करीब 18 वर्ष ।

बरामदगी-

- 02 तमंचा, 02 जिन्दा कारतूस व 02 खोखा कारतूस 12 बोर।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0 117/25 धारा 103(1), 3(5) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना मुंशीगंज जनपद अमेठी।
- पल्सर मोटरसाइकिल सं0 यूपी 36 एम 6279 (धारा 207एमवी एक्ट)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. श्री शिवाकान्त त्रिपाठी प्रभारी निरीक्षक मुंशीगंज जनपद अमेठी।
2. उ0नि0 सुरेशचन्द्र यादव थाना मुंशीगंज जनपद अमेठी।
3. हे0का0 धीरेन्द्र कुमार थाना मुंशीगंज जनपद अमेठी।
4. का0 आनन्द यादव थाना मुंशीगंज जनपद अमेठी।

अभियुक्त सत्यम का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 190/22 धारा 323, 504, 506 भादवि थाना मुंशीगंज जनपद अमेठी।
2. मु0अ0सं0 44/25 धारा 115(2), 117(2), 3(5), 324(2), 351(3), 352 बीएनएस थाना मुंशीगंज जनपद अमेठी।